न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 08/2014

1. श्री बालू पुत्र श्री बलदेव जी खाती जाति खाती उम्र बालिग
2. श्री मिठू पुत्र श्री बलदेव जी खाती जाति खाती उम्र बालिग निवासी जालिया दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री माधव प्रसाद पुत्र श्री मगना जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग
2. श्री जगदीश पुत्र श्री भैंरूलाल जाति जाट उम्र बालिग
3. श्री बिरदीचन्द पुत्र श्री हजारी जाति माली उम्र बालिग
4. श्री मांगीलाल पुत्र श्री लक्ष्मण जाति माली उम्र बालिग निवासी जालिया दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– आदेश :– दिनांक 01.06.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 827 रकबा 01–17–00 बीघा भूमि उनकी खातेदारी की भूमि है। जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं प्रार्थी के मध्य विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करने के अप्रार्थी सं0 5 पर आदेश जारी किये जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय जालिया द्वितीय पर पेश होने पर प्रार्थीगण अपने अभिभाषक महोदय के साथ उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता सं0 419 में प्रश्नगत अराजी खसरा सं0 827 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रश्नगत अराजी का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 01.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं ... मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 16:07:06 IST
Reason: SelfAttested